न्यायालय श्री ए0एच0 गौरी, आर0ए0एस0, कलक्टर
एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

(1) अपील संख्या : 24 / 2016

(1) मु0 आशादेवी पत्नी दुर्गाराम पुत्र सुगनाराम जाति कुम्हार
(2) जयनारायण | पुत्रगण दुर्गाराम जाति कुम्हार निवासी खारी
(3) रामकिशन | चारनान, उपनिवेशन तहसील, कोलायत — अपीलान्ट्स

बनाम

(1) स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर मुकाम कोलायत — रेस्पोडेन्ट

(2) अपील संख्या : 25 / 2016

(1) मु0 धापू पत्नी मोतीराम पुत्र बागाराम
(2) हजारीराम
(3) बद्रीराम
(4) मघाराम
(5) गणेशाराम | पि0 मोतीराम पुत्र बागाराम निवासी खारी
(6) भूराराम | चारनान, उपनिवेशन तहसील, कोलायत
(7) राधा
(8) कुसुम
(9) कमला
(10) सन्तोष — अपीलान्ट्स

बनाम

(1) स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर मुकाम कोलायत — रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति अभिभाषक :—

3. श्री रामचन्द्रसिंह भाटी — अपीलार्थी की ओर से (दोनो अपीलों में)
4. श्री दामोदर दास व्यास — पैरोकारराज

—: निर्णय :—

दिनांक :— 31—07—2017

ये दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत आज्ञा विरूद्ध नायब तहसीलदार, कोलायत दिनांक 25—11—1979 जिसके कि द्वारा इन्तकाल संख्या 273 व 297 रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया, के इस न्यायालय में दिनांक 07—11—2016 को प्रस्तुत की गई हैं।

चूंकि उक्त दोनो अपीलों में प्रयुक्त होने वाली कानूनी विधि एवं तथ्य समान रूप से है। अतः इन दोनों अपीलों का एक सामान्य आदेश से निरस्तारण एक साथ ही किया जा रहा हैं। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

(2) संक्षेप में अपील संख्या 24/2016 के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स के पति/पिता दुर्गाराम पुत्र सुगनाराम के नाम ग्राम लुम्बासर में खसरा नम्बर 7 में 20 बीघा भूमि सक्षम आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन की थी तथा कब्जा भूमि उसी समय अपीलान्ट्स के पति/पिता को सुपुर्द कर दी गई तथा इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में कर दिया गया। तभी से पूर्व में अपीलान्ट्स के पति/पिता दुर्गाराम व उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन बाद में उक्त भूमि इन्तकाल संख्या 297 दिनांक 25–11–1979 के द्वारा नायब तहसीलदार राजस्व, कोलायत ने सिवाय चक दर्ज कर दी गई जो कि गैर कानूनी है। इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व किसी प्रकार का कोई नोटिस अपीलार्थी को नहीं दिया गया और ना ही कोई सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में एकपक्षीय पारित आदेश कानून की निगाह में अवैध हो जाता है। इसी बिन्दु पर आक्षेपाधीन इन्तकाल निरस्तयोग्य हो जाता है तथा अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य हो जाती है। अपील मीमो के साथ दफा 5 मियाद कानून का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इन्तकाल निरस्त करने का निवेदन किया।

(3) इसी प्रकार के तथ्य अपील संख्या 25/2016 में अभिकथित किये गये है जिसमें अपीलान्ट्स के पति/पिता मोतीराम पुत्र बागाराम के नाम ग्राम लुम्बासर में खसरा नम्बर 4 मिन में 25 बीघा भूमि सक्षम आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन की थी तथा कब्जा भूमि उसी समय अपीलान्ट्स के पति/पिता को सुपुर्द कर दी गई तथा इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में कर दिया गया। तभी से पूर्व में अपीलान्ट्स के पति/पिता मोतीराम व उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन बाद में उक्त भूमि इन्तकाल संख्या 273 दिनांक 25–11–1979 के द्वारा नायब तहसीलदार राजस्व, कोलायत ने सिवाय चक दर्ज कर दी गई जो कि गैर कानूनी है। इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व किसी प्रकार का कोई नोटिस अपीलार्थी को नहीं दिया गया और ना ही कोई सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में एकपक्षीय पारित आदेश कानून की निगाह में अवैध हो जाता है। इसी बिन्दु पर आक्षेपाधीन इन्तकाल

निरस्तयोग्य हो जाता है तथा अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य हो जाती है। अपील मीमो के साथ दफा 5 मियाद कानून का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इन्तकाल निरस्त करने का निवेदन किया।

(4) इन दोनों अपीलों के नोटिस रेस्पोडेन्ट को भिजवाये गये। दोनों अपीलों में राज्य की ओर से पैरोकारराज उपस्थित आए। दोनों अपीलों के मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय से मंगवाये गये जिनके मूल इन्तकाल जिल्द प्राप्त होने पर पत्रावली के साथ शामिल करवाये गये।

(5) बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

(6) दोनों अपीलों के अपीलान्ट्स की ओर से योग्य अधिवक्ता श्री रामचन्द्रसिंह भाटी ने अपील मीमो में दर्ज समस्त तथ्यों को दोहराते हुए कॉमन बहस कर इंगित किया कि जब भूमि का आवंटन सक्षम अधिकारी के स्तर पर किया गया था, तो उसको अराजीराज करने का दिया गया आदेश मूल रूप से ही गैर कानूनी है। इस आधार पर उन्होंनें अपनी दोनों अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अवैध बताते हुए इसे निरस्त करने का भी निवेदन किया।

(7) इस बहस के विरोध में राज्य की ओर से उपस्थित पैरोकारराज ने अपनी बहस में दलील दी कि प्रस्तुत अपीलें मूल आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं हुई है क्योंकि अपीलान्ट्स का रकबा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर के यहां चली विधि सम्मत कार्यवाही में दिनांक 08–12–1978 के द्वारा खारिज किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत इन्तकाल श्रीमान जिलाधीश महोदय, बीकानेर के आदेश की पालना में तस्दीक किया गया है। अतः नायब तहसीलदार, कोलायत द्वारा पारित आदेश मूल आदेशों की तारीफ में नहीं आता हैं। ऐसी स्थिति में धारा 75 डी में संधारण योग्य ही नहीं है तो अपीलार्थी को अपील लाने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है। उन्होंनें अपनी इस बहस के आधार पर प्रस्तुत दोनों अपीलों को निरस्त करने का निवेदन किया है।

(8) हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत बहस को ध्यानपूर्वक सुना है एवं उस पर मनन किया है तथा आक्षेपित इन्तकालों का भी अवलोकन किया है। हम योग्य पैरोकारराज की इस बहस से पूरी तरह से सहमत है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 डी में मूल आदेशों के विरूद्ध ही अपील प्रस्तुत किये जाने का उपबंध है। इस दृष्टि से जब हम दोनों आक्षेपित इन्तकालों पर दृष्टिपात करते हैं, तो

इन्तकाल के कॉलम संख्या 14 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि मुताबिक आदेश तहसीलदार क्रमांक टीके/एलआर/378 दिनांक 28–12–1978 व जिलाधीश, बीकानेर के पत्र क्रमांक : सीबी/178/कोर्ट/2710 दिनांक 08–12–1978 के आदेशों की अनुपालना में प्रस्तुत इन्तकालों को तस्दीक कर बिलानाम सिवाय चक दर्ज की गई है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है और ये पाते है कि प्रस्तुत दोनों अपीलें मूल आदेशों के खिलाफ प्रस्तुत नहीं होकर इनकी अनुपालना में दर्ज किये गये आदेशों के खिलाफ प्रस्तुत की गई है जो कानूनन संधारण योग्य नहीं है और दोनों अपीलें निरस्त योग्य पाते है।

(9) परिणामस्वरूप उक्त दोनों अपीलें मूल आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 31–07–2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए0एच0 गौरी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर